

विज्ञप्ति

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक संख्या 3339/एसएलएसए-197/2026 (कुलदीप) दिनांकित 29.09.2026 के अनुक्रम में जनपद शाहजहाँपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत नवीन अतिरिक्त मीडियेटर्स की नियुक्ति की जानी है जिसमें अधिवक्तागण, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण, प्रधानाचार्य, प्रोफेसर्स, शिक्षक, बैंक अधिकारीगण, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सोशल वर्कर्स, प्रोफेशनल व अन्य व्यक्ति जिनका अपने अपने कार्य क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो।

उक्त के सम्बन्ध में इच्छुक आवेदकगण संलग्न फार्म एवं घोषणा पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या जनपद न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28.10.2026 है। उक्त तिथि के पश्चात फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पूर्व में जिनके द्वारा आवेदन किया जा चुका है उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

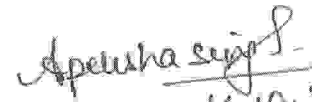
विज्ञप्ति की एक प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय शाहजहाँपुर के नोटिस बोर्ड व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।

विज्ञप्ति की एक प्रति केन्द्रीय बार संघ व जलालाबाद, पुवायाँ, तिलहर व कलान के बार संघ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए तथा बाह्य न्यायालय जलालाबाद, पुवायाँ व तिलहर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।

विज्ञप्ति की एक-एक प्रति अग्रणी जिला प्रबंधक शाहजहाँपुर, कुलपति स्वामी शुक्देवानंद विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहाँपुर व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर को प्रेषित की जाए।

विज्ञप्ति की एक प्रति जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर की वेब साइट पर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाए।

जिला सूचना अधिकारी को उक्त विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाए कि जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन किया जाए।


(अपेक्षा सिंह) 16.10.26

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
शाहजहाँपुर

मध्यस्थता एवं सुलह-समझौता केन्द्र में नामित अधिकता हेतु आवेदन पत्र

1-आवेदक का नाम:

2- पिता/पति का नाम:

3-जन्मतिथि:

4-अधिकता रजिस्ट्रेशन:

5-शैक्षिक योग्यता:

6-स्थायी पता:

7-पत्र व्यवहार का पता:

8-मोबाइल नम्बर:

9-अनुभव:

घोषणा

1. ई-मेल आईडी:-
2. तकनीकी अनुभव यदि कोई हो:-
3. मध्यस्थता में विशेष अहर्ता या अनुभव यदि कोई हो:-
4. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है ?
5. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्बलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है ?
6. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है ?
7. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी हैं या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है ?

मैं, _____ एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं _____ न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया जिला न्यायालय (मध्यस्थता नियमावली, 2021) के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आधारों का अनुसरण करूंगा। मैं भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का यत्न भी करता हूँ। मैं घोषण करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण सत्यात्मर.

दिनांक: